

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड |

विभाग द्वारा प्रस्तावित (2017–18 की) प्रत्येक योजना के संबंध में सूचना:—

धनराशि लाख ₹ में

| योजना का नाम | उद्देश्य | आउट ले | | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) | समय सीमा | परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम | समय सीमा |
|--------------|----------|--------|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | | राजस्व | पैंजीगत | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

राज्यपोषित योजनाएँ

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|------------------|--------------|--|--------------|
| मदरसों हेतु विविध अनुदान | राज्य के मदरसों में मूल—भूत सुविधाओं यथा बिजली—पानी, फर्नीचर, वॉटर प्लाइफायर, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है। | 200.00 | | 100 Madrasa | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> लगभग 100 मदरसों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य। मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि का सुधार। द्राप—आउट को न्यून किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय | मा.प्रधानमंत्री जी के 15—सूत्रीय कार्यक्रम योजनान्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु अनुदान। | 20.00 | | 01-Unit | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं अन्य कार्यों हेतु व्यय। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति | राज्य में गरीबी की रेखा से दोगुनी आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। | 505.00 | | 30,000 Students | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> लगभग 30 हजार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान। द्राप—आउट को न्यून किया जाना। छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना | अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राएँ जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/ उत्तराखण्ड | 10.00 | | 50 Beneficiaries | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> 05—लाभार्थियों को प्रोत्साहन योजना का भुगतान। आई.ए.एस./पी.सी.एस, आई.आई.एम/आई.आई.टी | वित्तीय वर्ष |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------------------|--------------|--|--------------|
| | सम्मिलित राज्य परीक्षा अथवा मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। | | | | | परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाना। | |
| अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय | अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जिला कार्यालयों, मदरसा शिक्षा परिषद, अल्पसंख्यक आयोग आदि अन्य इकाईयों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी किया जाना। | 54.42 | | 01 Office | | <ul style="list-style-type: none"> • अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। • निदेशालय अन्तर्गत 18 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं मूल्यांकन। | |
| मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउण्डेशन | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु अधिकतम ₹5.00लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। | 100.00 | | 100 Students | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> • अल्पसंख्यक व्यक्तियों को शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना। • ऋण के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया जाना। • बैंकों की निर्खरता समाप्त। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक विकास निधि | अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मौग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की स्थापना की गयी है। | 300.00 | | 100 Projects | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मौग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास। | वित्तीय वर्ष |
| जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान। | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जिलास्तर पर कियान्वित एवं संचालन हेतु 04 जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया गया है। | 85.14 | | 01 Office | | <ul style="list-style-type: none"> • अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अन्य अधिष्ठानों पर जिलास्तरीय वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण। • जिला कार्यालयों में 29 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं। • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं मूल्यांकन। | |
| अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं | अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएं जिनकी द्वारा | 65.00 | | 520 Girls Students | वित्तीय वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> • छात्राओं को शिक्षा हेतु | वित्तीय वर्ष |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------------|---------------------|---|--|--------------|
| की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान। | हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। | | | | | प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। • अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | | |
| संत केशर सिंह स्मृति सहायता कोष | जनपद उधम सिंह नगर में निवासरत राय सिख समाज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु कोष की स्थापना की गयी है। | 10.00 | | 200 Students | वित्तीय वर्ष | • राय-सिख समाज के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष | |
| मुख्यमंत्री योजना | हुनर | अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा जीविका प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, महिलाओं को सिलाई कठाई योजना को सम्मिलित करते हुए हुनर योजना बनायी गयी है। | 150.00 | | 500 Beneficiaries | वित्तीय वर्ष | • जीविका अवसर प्रोत्साहन हेतु कौशलवृद्धि प्रशिक्षण। • बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। | वित्तीय वर्ष |
| मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्राओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना। | मुस्लिम | मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गयी है। | 50.00 | | 400 Girls Students | वित्तीय वर्ष | • छात्राओं को उच्चशिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। • अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना। | | अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गयी है। | 100.00 | | 6600 Girls Students | वित्तीय वर्ष | • छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। • अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| वनाधिकार अधिनियम, 2006 का | | | 40.00 | 01-Unit | वित्तीय वर्ष | | वित्तीय वर्ष | |

| क्रियान्वयन | वित्त निगम | उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वरक्फ विकास निगम हेतु अंशपूँजी। | | 50.00 | 01-Unit | वित्तीय वर्ष | • अधिकतम ₹10.00 लाख तक तक की परियोजना लागत पर ऋण दिया जाता है। | वित्तीय वर्ष |
|--|--|--|--|---------|-------------------|--------------|--|--------------|
| अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना | बेरोजगार अल्पसंख्यकों को स्वयं का कारोबार स्थापित किये जाने हेतु ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। | | | 100.00 | 400-Beneficiaries | वित्तीय वर्ष | • योजना के अन्तर्गत योजना लागत ₹1.00 लाख तक का ऋण। • स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाना। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य। | अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुसार कब्रिस्तान की चाहर-दिवारी, खण्डजा निर्माण आदि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाता है। | | | 100.00 | 10-Project | वित्तीय वर्ष | • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी मॉग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास। | वित्तीय वर्ष |
| कब्रिस्थानों में चाहर-दिवारी का निर्माण। | प्रदेश में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कब्रिस्थानों की चाहर-दिवारी के निर्माण हेतु। | | | 1000.00 | 746-Kabristan | वित्तीय वर्ष | • चिह्नित कब्रिस्थानों को अनाधिकृत कब्जों से मुक्त किया जाना। • जंगली जानवरों से सुरक्षा। | वित्तीय वर्ष |

केन्द्रपोषित योजनाएँ

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|----------------|--|--|--|--------------------------------|
| अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरियल डिभेलपमेन्ट योजना (MSDP 50 to 90%CSS) | केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 50 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया जाता है। | 200.00 | 1800.00 | 60-Project | | | • अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक, छात्रावास का निर्माण कराया जाना। • क्षेत्र में पठन-पाठ्न की सुविधा। • रोजगार परक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जाना। | वित्तीय वर्ष (पंचवर्षीय योजना) |
| अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100%CSS) | अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। | 7.00 | | 3288- Students | | | • छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। • ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। • छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-----------------|--|---|--------------|
| अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100%CSS) | अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। | 104.00 | | 395- Students | | <ul style="list-style-type: none"> छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। झाप-आउट को न्यून किया जाना। छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति (100%CSS) | अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाती है। | 507.00 | | 19732- Students | | <ul style="list-style-type: none"> छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना। झाप-आउट को न्यून किया जाना। छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। | वित्तीय वर्ष |
| अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100%CSS) (SPQEM) | मदरसों में मजहबी तालिम के अलावा आधुनिक पाठ्यक्रमों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों को अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों को मानदेय दिया जाता है। | 610.00 | | 502 - Teachers | | <ul style="list-style-type: none"> मदरसों में दीनी तालिम के अतिरिक्त आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना। रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार। | वित्तीय वर्ष |
| अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (100%CSS) (IDMI) | अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। | | 300.00 | | | <ul style="list-style-type: none"> अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षा का गुणात्मक सुधार। | वित्तीय वर्ष |